

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार गीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 253/2015

दायर दिनांक: 21.07.2015

(8)

उनवान

1. सन्तोषबाई पत्नि बालाराम जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल

- वादीया

बनाम

1. मोहनलाल आ० कुकाजी जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. रामलाल आ० कुकाजी जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. हीराबाई पुत्री कुकाजी जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. प्रेमबाई पुत्री कुकाजी जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
5. भंवरीबाई पुत्री कुकाजी जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक -

वकील वादी - श्री रमेशचन्द नागर

प्रतिवादी सं. 1 से 5 - एकतरफा

निर्णय

दिनांक 19.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीया उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की जमाबंदी संवत 2073-2076 में खाता संख्या 1414 के ख.नं 1764 रकबा 0.0379 है. व ख.नं. 2013 रकबा 0.0885 है कुल कित्ता 2 रकबा 0.1264 है. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.03.2025 के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/849 दिनांक 09.07.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर




उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)



अभिभाषक वादीया की बहरा सुनी गई। अभिभाषक वादीया की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

9


अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2025 अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की जगाबंदी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 1414 के ख. नं 1764 रकबा 0.0379 है. व ख.नं. 2013 रकबा 0.0885 है कुल किता 2 रकबा 0.1264 है. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	सन्तोषबाई पत्नि बालाराम जाति धाकड नि. सुनेल	1764 2013	0.0379 0.0283	बीड प्रथम बीड प्रथम
		किता 2	0.0632	
2	प्रेमबाई पुत्री कुकाजी हि. 1/5 पीरूलाल पुत्र हीराबाई हि. 1/10 भंवरीबाई पुत्री कुकाजी हि. 1/5 मंजुबाई पुत्री हीराबाई हि. 1/10 मोहनलाल पि. कुकाजी हि. 1/5 रामलाल पि. कुकाजी हि. 1/5 जाति धाकड नि. सुनेल	2013/1	0.0632	बीड प्रथम

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड उपखण्डी अधिकारी
पिपली, जिला झारखण्ड (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़वा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठारीन अधिकारी:-दिनेश कुमार गीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 253/2015

दायर दिनांक: 21.07.2015

उनवान

1. सन्तोषबाई पत्नि बालाराम जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल

- वादीया

बनाम

1. मोहनलाल आ० कुकाजी जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. रामलाल आ० कुकाजी जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. हीराबाई पुत्री कुकाजी जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. प्रेमबाई पुत्री कुकाजी जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
5. भंवरीबाई पुत्री कुकाजी जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक -

वकील वादी - श्री रमेशचन्द नागर

प्रतिवादी सं. 1 से 5 - एकतरफा



मिनजानित मुदई रुबरूX.....मिनजाबिन


मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्ली दी जाती है कि -

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्ली दिनांक 27.03.2025 अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की जमाबंदी संवत 2073-2076 में खाता संख्या 1414 के ख. नं 1764 रकबा 0.0379 है. व ख.नं. 2013 रकबा 0.0885 है कुल किता 2 रकबा 0.1264 है. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी


पिड़वा, जिला झालावाड़ (राज०)

पुरा आराजा का बटवारा कराकर अपने 1/2 हिस्से का खाता अलग कायम कराना चाहती है।

 सन्तोष बाई


क्र.	खातोदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	रान्तोषबाई पत्नि बालाराम जाति धाकड नि. सुनेल	1764 2013	0.0379 0.0253	वीड प्रथम वीड प्रथम
		किता 2	0.0632	
2	प्रेगबाई पुत्री कुका हि. 1/5 पीरूलाल पुत्र हीराबाई हि. 1/10 भंवरीबाई पुत्री कुका हि. 1/5 मंजुबाई पुत्री हीराबाई हि. 1/10 मोहनलाल पि. कुका हि. 1/5 रामलाल पि. कुका हि. 1/5 जाति धाकड नि. सुनेल	2013/1	0.0632	वीड प्रथम

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


 (दिनेश कुमार मीणा आरएएस)
 उपखण्ड अधिकारी
 पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)


निजX.....मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरहX.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.08.2025 को जारी किया गया।



 उपखण्ड अधिकारी
 जिला झालावाड़ (राज.)
 पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमि नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	




 उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
 जिला झालावाड़ (राज.)
 पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

पुरा आराजा का बटवारा कराकर अपने 1/2 हिस्से का खाता अलग कायम कराना चाहती है।


 म. श. लोपा काई